



भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़-160 019

ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation Sector
27-A, Madhya Marg, Chandigarh-160 019
Tel. (O) 0172 - 2659365, Fax : 0172 - 2650783
Email: soilcons_chd@yahoo.com website <http://www.cswcrtiweb.org>



पत्रांक 7(7)/2019-20/Store/

दिनांक: 20-04-2022

फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

केन्द्राध्यक्ष, भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़ द्वारा निम्नलिखित फलों की नीलामी जिनकी कुल संख्या 805 है, हेतु सील बन्द लिफाफे में निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। **इस नीलामी की अवधि 15 मई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक होगी।** इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्यालय दिवस पर 09:00 से 04:00 बजे तक फलदार पौधों का निरीक्षण संस्थान के रिसर्च फार्म मनसा देवी पर आकर कर सकते हैं तथा **आंकलन अनुसार** निविदा दिनांक 12.05.2022 दोपहर 01:30 बजे तक केन्द्राध्यक्ष, भाकृअनुप: भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़ में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय के टैंडर बॉक्स में भी डाली जा सकती हैं। यह निविदाएँ इसी दिन 02:00 बजे खोली जाएंगी।

क्रम	फल दार पौधे	संख्या
1	आम	76
2	अमरुद	284
3	कीन्नु	77
4	बेर	171
5	चीकू	25
6	करोँदा	70
7	आड़ू	6
8	जामुन	11
9	बेल	64
10	नींबू	8
11	लीची	4
12	अनार	9
कुल फलदार पौधे		805

निबंधन एवं शर्तें

- बोलीदाता की पंजीयन राशि रु. 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) निविदा के साथ डी.डी/ बैंकर्स चेक/ FDR के माध्यम से जो कि Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में होगी इसके अतिरिक्त केन्द्र के खाते में/ POS Machine/ SBI Collect के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं जिसका प्रमाण (proof) निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- निविदा में कटिंग व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए, यदि हो तो उस पर हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं।
- बोलीदाता को अपना बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी कोड, बैंक का नाम, अपना पैन नं. व आधार कार्ड की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
- सफल बोलीदाता को बोली का 25 प्रतिशत भुगतान नगद/डी.डी/बैंकर्स चेक/POS machine/ SBI Collect के माध्यम से जो Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो तुरन्त जमा करवाना होगा तथा वकाया 75 प्रतिशत को तीन

किस्तों में जमा करवा सकते हैं। पहली किस्त फल तोड़ने से पहले जमा करवानी होगी, उसके तीन माह पश्चात दूसरी किस्त तथा उसके तीन महिनो के बाद तीसरी तथा अन्तिम किस्त जमा करवानी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई नीलामी की 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेवार होगा।

5. सफल बोलीदाता द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के पहचान पत्र संस्थान को उपलब्ध करवाने होंगे तथा यदि ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नुकसान की पूरी भरपाई ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
6. नीलामी स्वीकृत किए जाने के बाद फलों की देख-रेख व चौकीदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। पौधों को दवाई इत्यादि (input) तथा पानी केन्द्र की ओर से प्रदान किया जाएगा तथा स्प्रे इत्यादि करवाने हेतु तथा फलों को तोड़ने तथा लेवर का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
7. प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
8. फलों को कार्यालय से बाहर ले जाने का समय सुबह 9:30 से 5:00 बजे तक होगा।
9. नीलाम किए गए फलों के अतिरिक्त संस्थान के किसी भी प्रकार के सामान को कार्यालय से बाहर ले जाना व सरकारी सम्पत्ति की क्षति पूर्ण रूप से निशेध होगा। यदि ऐसा पाया गया तो वह सरकारी सम्पत्ति की चोरी मानी जाएगी जिसके लिए संस्थान ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यावाही किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा ऐसी स्थिति में केन्द्राध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह तुरन्त प्रभाव से ठेकेदार का नीलामी ठेका रद्द करते हुए ठेके के अन्तर्गत जमा कराई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिया जाए जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
10. ठेकेदार को नीलामी की सभी नियम व शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। ठेके के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस ठेके के सन्दर्भ में जमा कराई गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. इस नीलामी को स्वीकृत करने/रद्द करने के पूर्ण अधिकार केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित होंगे।
12. नीलामी ठेके के सन्दर्भ में यदि ठेकेदार एवं संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निवारण आपसी बातचीत द्वारा पूर्ण किया जाएगा अगर आपसी बातचीत से उसका निवारण नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में विवाद को संस्थान के निदेशक, मुख्यालय देहरादून को विवाद के निवारण हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
13. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के लिए चण्डीगढ़ न्यायालय ही मान्य होगा।
14. ठेके की अवधि 15 मई, 2022 से 31 मार्च 2023 तक रहेगी। अगर किसी कारण वस फलों की पूर्ण तुड़ाई इस अवधि में नहीं हो पाती है तो ठेकेदार द्वारा दिए गए लिखित अनुरोध पर ठेके को आगामी 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

(लक्ष्मण सिंह रावत)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार) भा०कृअनुप०-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को cpp portal (e-publishing) पर upload करने हेतु।
2. प्रभारी AKMU Cell, भा०कृअनुप०-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को Institute Website पर upload करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ कार्यालय/नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ अनुसंधान प्रक्षेत्र कार्यालय।

वित्तीय बोली/Financial Bid

क्रम	फलदार पौधे	संख्या	रेट
1	आम	76	
2	अमरुद	284	
3	कीन्नु	77	
4	बेर	171	
5	चीकू	25	
6	करोँदा	70	
7	आडू	6	
8	जामुन	11	
9	बेल	64	
10	नींबू	8	
11	लीची	4	
12	अनार	9	
कुल योग			

ठेकेदार के हस्ताक्षर

DETAILS OF BANK ACCOUNT

1.	NAME OF THE ACCOUNT HOLDER	ICAR, INDIAN INSTITUTE OF SOIL & WATER CONSERVATION RESEARCH CENTRE, BLOCK 3-A, SECTOR 27-A, MADHYA MARG, CHANDIGARH
2.	TELEPHONE NO. OF HEAD/FAX NO.	PH. NO. 0172-2659365, 2650783 FAX NO. 0172-2650783
3.	NAME OF THE BANK/BRANCH WHERE THE ACCOUNT IS OPEATED BY THE CENTRE	STATE BANK OF INDIA, (SME BRANCH), SECTOR-8, MADHYA MARG, CHANDIGARH
4.	BANK ACCOUNT NO.	10847614389
5.	IFSC CODE NO.	SBIN0011705
6.	BANK PHONE NO.	0172-4603351
7.	BRANCH CODE	11705
8.	MODE OF REMITTANCE (ELECTRONIC/CORE BANKING/RTGS)	ELECTRONIC MODE



भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़-160 019

ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation Sector
27-A, Madhya Marg, Chandigarh-160 019
Tel. (O) 0172 - 2659365, Fax : 0172 - 2650783
Email: soilcons_chd@yahoo.com website <http://www.cswcrtiweb.org>



पत्रांक 7(7)/2019-20/Store/

दिनांक: 20-04-2022

फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

केन्द्राध्यक्ष, भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़ द्वारा निम्नलिखित फलों की नीलामी जिनकी कुल संख्या 805 है, हेतु सील बन्द लिफाफे में निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। **इस नीलामी की अवधि 15 मई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक होगी।** इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्यालय दिवस पर 09:00 से 04:00 बजे तक फलदार पौधों का निरीक्षण संस्थान के रिसर्च फार्म मनसा देवी पर आकर कर सकते हैं तथा **आंकलन अनुसार** निविदा दिनांक 12.05.2022 दोपहर 01:30 बजे तक केन्द्राध्यक्ष, भाकृअनुप: भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़ में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय के टैंडर बॉक्स में भी डाली जा सकती हैं। यह निविदाएँ इसी दिन 02:00 बजे खोली जाएंगी। नियम एवं शर्तें संस्थान की website <https://iiswc.icar.gov.in> पर देखी जा सकती हैं।

हस्ता/-

सहायक प्रशासनिक अधिकारी